14.3.19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के मद्देनजर आवेदन पुनर्विलोकन पर मनन किया।

CPC आदेश 47 के अनुसार पुनर्विलोकन का परिक्षेत्र (दायरा) बहुत ही सीमित है। इसके लिए जो आधार हैं उनमें मामले में कोई नया तथ्य व महत्वपूर्ण साक्ष्य संज्ञान में लाया जावे जो पूर्व में अपरिहार्य कारणों से प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो या अभिलेख को देखते ही कोई त्रुटि या भूल प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर/प्रकट हो या निर्णय की त्रुटि इंगित की गई हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण दर्शित किये गए हो तो रिव्यू ग्राह्य किया जा सकता है।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। अपील में निर्णय तलबीकार करने का मूल कार्य विचारण न्यायालय का है, डिक्री पर्चा जारी नहीं किये जाने के संबंध में विधिक प्रावधान है कि उसे बाद निर्णय जारी किया जा सकता है। प्रार्थी का अतिरिक्त बहस में यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण पुनमसिंह व लूणासिंह को रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु प्रकरण में इस आशय उक्त दोनो अप्रार्थीगण से नहीं चाहा गया है इसलिए इनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

14.3.2019

अनापत्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। रिव्यू प्रार्थना-पत्र को ग्राह्य करना न्यायालय का बाद विचारण विवेकाधिकार है न कि पक्षकारों की सहमति से स्वीकार कर लेना। दावे में प्रतिवादी सं० 3व 4 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब भी-चाहे गए अनुतोष के संदर्भ में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। आवेदकता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों का हवाला निर्णय में नहीं देने भी पुनर्विलोकन के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रस्तुत रिव्यू आवेदन में पर्याप्त आधार एवं समुचित कारण विद्यमान नहीं होने से रिव्यू आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली नतीजा शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner